



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/554

29.09.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्लास्टिक कच्चे माल के आयात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (बीआईएस) लागू करने के कारण निर्यात कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में।

जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीएथिलीन (पीई) और एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) जैसे पॉलिमर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भारत में पहले ही लागू हो चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस नियामक परिवर्तन का आपके उद्योग या व्यावसायिक कार्यों पर अब तक कोई प्रभाव पड़ा है।

कृपया आप निम्नलिखित के संबंध में अपने अनुभव साझा करें:

1. आपूर्ति श्रृंखला या उपलब्धता संबंधी समस्याएं?
2. क्या किसी पॉलीमर पर QCO प्रतिबंध के परिणामस्वरूप आपके व्यवसाय के लिए किसी निर्यात ऑर्डर का नुकसान हुआ है?
3. कोई अन्य चिंता?

आपकी प्रतिक्रिया से हमें QCO के जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने और उद्योग की चिंताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

कृपया इसे **02.10.2025** तक bharti@plexconcil.org पर अधोहस्ताक्षरी के साथ साझा करें।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सादर,

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल